**नोट फार पैड**

**छोटे किसानों तथा मजदूरों का उत्थान**

**श्री राम कुमार गौतम, विधायक (नारनौंद) द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या \*16**

 राज्य सरकार ने कई केंद्रित क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों के उत्थान/कल्याण के लिए कई पहल की हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और मजदूरों को मौद्रिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार हैं:-

1. **फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.)**

(क) पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को इन-सीटू और एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

(ख) मशीनीकरण- पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें 50 प्रतिशत (व्यक्तिगत) और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

2. **धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.)-** हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने किसानों को 4000/- रुपये प्रति एकड़ की सहायता देकर डीएसआर (धान की खेती की एक तकनीक जहां धान की पौध रोपाई के बजाय बीज को सीधे खेत में बोया जाता है) को बढ़ावा दिया है। इस तकनीक द्वारा लगभग 25 प्रतिशत पानी की बचत होती है।

3. **भावांतर भरपाई योजना-** यह योजना सतत् कृषि के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार की एक विशिष्ट पहल है। राज्य सरकार द्वारा बाजरा उत्पादक किसानों का जोखिम कम करने और सुरक्षित आय के उद्देश्य से खरीफ 2021 के दौरान भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) के तहत बाजरे की फसल को शामिल करने का निर्णय लिया था जिसके तहत बाजरे के एमएसपी और बाजार भाव के बीच के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है।

 इस योजना के तहत किसानों को खरीफ 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः एमएसपी और बाजार भाव के बीच का अंतर 600/- रुपये तथा 450/- रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किया गया था। खरीफ 2023 के दौरान किसानों को एमएसपी और बाजार भाव के बीच का अंतर 300/- रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किया जा रहा है।

4. **मेरा पानी मेरी विरासत-** राज्य सरकार द्वारा खरीफ-2020 के दौरान किसानों को फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की गई थी जिसके तहत फसल विविधता लाने के लिए धान की फसल (पानी की अधिक खपत वाली फसल) के बजाय कम पानी की खपत वाली फसलें जैसे कपास, मक्का, खरीफ दालें (मूंग, मोठ, उरद, ग्वार, सोयाबीन, अरहर), खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली) खरीफ प्याज, सब्जी/ बागवानी, चारा, कृषि-वानिकी (पापलर और सफेदा) उगाने और यहां तक कि खेत खाली रखने के लिए (खेत खाली फिर भी खुशहाली) प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है। किसानों को धान से वैकल्पिक कम पानी खपत वाली फसलें उगाने पर 7000/- रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

5. **प्राकृतिक खेतीः-** सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक खेती नामक एक नई योजना लागू की जा रही है। इस स्कीम के तहत मुख्य जोर किसानों और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर है। किसानों को देसी गाय की खरीद पर 25000/- रुपये व चार ड्रम की खरीद के लिए 3000/- रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

6. **कपास की खेती को बढ़ावा देना-** देसी कपास सूखे, लवणता को झेलने की अंतर्निहित क्षमता और रस चूसने वाले कीटों और कपास का पत्ता मरोड़ वायरस के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोध के कारण कपास उद्योग में एक विशेष स्थान रखती है। इसलिए देसी कपास के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसानों को 3000/- रुपये प्रति एकड की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जल संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पानी की टंकी के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट) को बढ़ावा देने के लिए 2.25 लाख से 3.25 लाख रुपये तक की अनुदान किसानों को प्रदान की जाती है।

7. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.):-** प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान को जोखिम को कवर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू की जा रही है। हरियाणा ऐसे कुछ राज्यों में से है जिनका प्रीमियम दावा अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है।

8. **एकीकृत बागवानी विकास (आई.एच.डी.) योजनाः-** यह योजना राज्य में बागवानी गतिविधियों के एकीकृत विकास के लिए बनाई गई है और पूरे राज्य में चल रही है। विभिन्न घटकों पर 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

9. **बागवानी क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाः-** विभाग अब बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए बागवानी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है तथा सब्जियों की पौध पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

10. **अनुसूचित जाति के लिए योजना योजना (एस.सी.एस.पी):-** विभिन्न घटकों जैसे मशरूम ट्रे, मौसमी मशरूम की खेती, कम लागत वाली फूस की झोपड़ी, सब्जी की खेती, सब्जी फसलों मे बांस और एमएस लोहे की स्टैकिंग, संरक्षित संरचनाएं (पॉली हाउस/नेट हाउस/वॉक-इन-टनल) पर 85 प्रतिशत अनुदान लाभार्थियों को प्रदान की जा रही हैं।

11. **भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.):-** हरियाणा सरकार द्वारा जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादो के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए राज्य में 01.01.2018 से भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) शुरू की है। दरों के अंतर का भुगतान किसानों को प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है।

12. **मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.):-** बागवानी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तथा अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए बागवानी फसल बीमा योजना को एक विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है और इस योजना के तहत 46 फसलों को सम्मिलित किया गया है।

13. **राष्ट्रीय बागवानी मिशनः-** यह योजना प्रदेश के 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक बागवानी फसलों तहत क्षेत्र विस्तार (फल, सब्जियां, मसाले, फूल और सुगंधित पौधे), संरक्षित संरचनाएं, फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं, मशरूम परियोजनाएं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी बक्से, बाल्टी और मधुमक्खी उपकरण आदि हैं। विभिन्न घटकों पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

14. **अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशनः-** यह योजना प्रदेश के 19 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक बागवानी फसलों तहत क्षेत्र विस्तार (फल, सब्जियां, मसाले, फूल और सुगंधित पौधे), संरक्षित संरचनाएं, फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं, मशरूम परियोजनाएं, खेतों में सिंचाई के लिए पानी के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी बक्से, बाल्टी और मधुमक्खी उपकरण आदि हैं। विभिन्न घटकों पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है।

15. **मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजनाः-** इस योजना को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड जनवरी, 2014 क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत हरियाणा राज्य स्थित खेतों, गांवों, मंडियों में कृषि कार्यों के दौरान और ऐसे स्थानों पर जाने या आने के दौरान हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों (किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी मजदूरों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के दायरे में आने वाले दावेदारों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता का भुगतान किया जा रहा हैः

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **दुर्घटना का प्रभाव** | **सहायता** |
| 1. | मृत्यु  | 5,00,000/- रूपये |
| 2. | रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारण से स्थायी विकलांगता। | 2,50,000/- रूपये |
| 3. | दो अंगों का विच्छेदन/ स्थायी गंभीर चोट  | 1,87,500/- रूपये |
| 4. | स्थायी गंभीर चोट/एक अंग का विच्छेदन (चार अंगुलियों के विच्छेदन को एक अंग की हानि माना जाएगा) | 1,25,000/- रूपये |
| 5. | पूरी उंगली कटने पर | 75,000/- रूपये |
| 6. | उंगली का आंशिक विच्छेदन | 37,500/- रूपये |

16. **अटल किसान-मजदूर कैंटीन (ए.के.एम.सी.):-** हरियाणा सरकार ने किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से अनुदान वाला भोजन (दोपहर का भोजन) उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर की मंडियों में 40 स्थानों पर **‘अटल किसान-मजदूर कैंटीन’** की स्थापना की है।

वर्ष **2023-24** के दौरान किसानों के उत्थान/कल्याण के लिए दी गई तथा दी जाने वाली सहायता

 [

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | स्कीम का नाम | राशि(करोड़ रूपये मे) | लाभार्थियों की संख्या |
| 1.  | फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) |  |  |
| (क) इन-सीटू और एक्स-सीटू | 138.94 | 156915 |
| (ख) मशीनीकरण | 120.00 | 11007 |
| 2. | धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.) | 71.42 | 29699 |
| 3. | भावांतर भरपाई योजना- बाजरा(बी.बी.वाई.) | 177.84 | 250470 |
| 4. | मेरा पानी मेरी विरासत (एम.पी.एम.वी.) | 32.98 | 24670 |
| 5. | प्राकृतिक खेती |  देसी गाय | 0.75 | 2500 |
|  ड्रम | 0.45 | 179 |
| 6. | कपास की खेती को बढ़ावा देना | 25.69 | 9482 |
| 7. | एकीकृत बागवानी विकास(आई.एच.डी.) योजना | 74.38 | 7604 |
| 8. | बागवानी क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की योजना | 24.79 | 4964 |
| 9. | अनुसूचित जातियों के लिए योजना (एस.सी.एस.पी.) (बागवानी) | 4.70 | 667 |
| 10. | भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.) (बागवानी) | 40.71 | 6868 |
| 11. | मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.) | 0.70 | 76 |
| 12. | राष्ट्रीय बागवानी मिशन | 52.54 | 5460 |
| 13. | अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन | 6.45 | 164 |
| कुल | **772.34** | **510725** |